क्रम-संख्या—89

रजिस्ट्रेशन न०—एस०एस०पी०/एल०
डब्लू/एन०पी०—91/2008—10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 27 फरवरी, 2008

फाल्गुन 8, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 433/79-वि-1—08-1(क)-1-2008

लखनऊ, 27 फरवरी, 2008

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008 पर दिनांक 26 फरवरी, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राज्य में माल के विक्रय या क्रय पर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए मूल्य संवर्धित करापान प्रणाली प्रारम्भ करने और उससे संबंधित तथा आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय - एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 1 जनवरी, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं

2-इस अधिनियम में, जब तक कोई बात किसी सन्दर्भ में या विषय के विरुद्ध न हो :

(क) **"अपील सुनने वाला प्राधिकारी"** का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जिसे धारा 55 के अधीन अपील की जा सकेगी ;

(ख) **"कर निर्धारक प्राधिकारी"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो –

(एक) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त और तैनात किया गया हो; या

(दो) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो और कमिश्नर द्वारा तैनात किया गया हो; या

(तीन) कमिश्नर द्वारा नियुक्त और तैनात किया गया हो और इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी के समस्त या किसी कृत्य को सम्पादित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी सशक्त किया गया हो ;

(ग) **"कर निर्धारण वर्ष"** का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होकर बारह मास की अवधि से है ;

(घ) **"बोर्ड"** का तात्पर्य धारा 78 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य कर बोर्ड से है;

(ङ) **"कारबार"** में माल खरीदने या बेचने के कारबार के सम्बन्ध में, निम्नलिखित सम्मिलित है:-

(एक) कोई व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण अथवा व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण के स्वरूप का कोई प्रोद्यम या समुत्थान चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाया जाय या नहीं और ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान से कोई लाभ प्रोद्भूत हो या नहीं ;

(दो) किसी सकार्य संविदा का निष्पादन या किसी प्रयोजन के लिये किसी माल का उपयोग करने के अधिकार का अन्तरण (चाहे किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये हो या नहीं) ;

(तीन) संयंत्र, मशीनरी, कच्चा माल, प्रसंस्करण करने का सामान, पैक करने का सामान, खाली डिब्बे, उपभोज्य स्टोर, उत्सर्जित पदार्थ या उपोत्पाद या इसी प्रकार का कोई अन्य माल या कोई अनुप्रयोज्य या अप्रयुज्यमान या व्यर्थ मशीन

या उसके किसी हिस्से या सहायक सामान या कोई उत्सर्जित पदार्थ या छोजन या उनमें से कोई भी चीज खरीदने, बेचने या सम्भरण करने का कोई संव्यवहार या किसी भी प्रकार का कोई अन्य संव्यवहार, जो ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या संस्थान, संकर्म संविदा या पट्टे से अनुषंगी हो या उससे सम्बद्ध हो या उससे जुड़ी हो या उसके परिणाम स्वरूप हो.

किन्तु इसके अन्तर्गत केवल सेवा या वृत्ति की प्रकृति का कोई ऐसा कार्य-कलाप नहीं है, जिसमें माल का खरीदना या बेचना अन्तर्विष्ट न हो ;

(च) "पूँजी माल" का तात्पर्य व्यवहारी द्वारा विक्रय के लिये किसी माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयुक्त किसी संयंत्र, मशीन, मशीनरी, उपस्करों, यंत्रों, औजारों, साधनों या विद्युत व्यवस्थापन से है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:-

(एक) ऐसे संयंत्र, मशीन, मशीनरी, उपस्कर, सामित्र, उपकरण, साधन या विद्युत व्यवस्थापन के घटक, अतिरिक्त पुर्जे और ऐसे उपसाधन ;

(दो) मोल्ड और डाइज़ ;

(तीन) भण्डारण टंकी ;

(चार) प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर ;

(पाँच) दुर्गलनीय और दुर्गलनीय सामग्रियाँ ;

(छः) ट्यूब और पाइप और उसकी फिटिंग ;

(सात) प्रयोगशाला उपस्कर, उपकरण और उपसाधन ;

(आठ) कारखाना परिसर के भीतर माल उठाने या उसका संचालन करने हेतु मशीनरी, लोडर एवं उपस्कर, या

(नौ) उसके द्वारा विक्रय के लिए माल के विनिर्माण में प्रयुक्त जेनरेटर और ब्वायलर किन्तु इस अधिनियम की धारा 13 के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है :-

(एक) वातानुकूलन इकाइयाँ या वातानुकूलक, प्रशीतक, वायुशीतलक, पंखे और वात संचारक यदि विनिर्माण प्रक्रिया से सम्बन्धित न हों;

(दो) वाणिज्यिक यानों तथा दुपहिया या तिपहिया वाहनों सहित कोई स्वचालित वाहन और पुर्जे, घटक एवं उपसाधन तथा उनकी मरम्मत और अनुरक्षण ;

(तीन) कारबार में क्रय किये गए और लेखा रखे गए किन्तु कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ उपयोग किए गए माल ;

(चार) माल या यात्रियों या दोनों के परिवहन के लिए प्रयुक्त यान ;

(पाँच) किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त पूँजी माल, और

(छः) विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयुक्त कैप्टिव विद्युत संयंत्र तथा उनके मरम्मत और अनुरक्षण हेतु उनके पुर्जे, घटक तथा उपसाधन ;

(छ) "कमिश्नर" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा वाणिज्य कर कमिश्नर के रूप मे नियुक्त व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत विशेष कमिश्नर वाणिज्य कर, अपर कमिश्नर वाणिज्य कर और संयुक्त कमिश्नर वाणिज्य कर सम्मिलित है ;

(ज) "व्यवहारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो उत्तर प्रदेश में (चाहे नियमित रूप से या अन्यथा) नकद या आस्थगित संदाय या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माल के क्रय विक्रय, सम्भरण या वितरण का कारबार करता है, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है :-

(एक) कोई स्थानीय प्राधिकारी, निगमित निकाय, कम्पनी, सहकारी समिति या अन्य समिति, क्लब, फर्म, अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब या व्यक्तियों का अन्य संघ (एसोसिएशन), जो ऐसा कारबार करता है ;

(दो) कारिंदा, दलाल, आढ़ती, कमीशन अभिकर्ता, प्रत्यापक अभिकर्ता, या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाय जो ऊपर वर्णित प्रकार का हो या न हो और जो किसी प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करने का कारबार करता है ;

(तीन) कोई नीलामकर्ता प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का विक्रय या नीलाम करने का कारबार करता है और चाहे इच्छुक क्रेता का प्रस्ताव उसके द्वारा स्वीकार किया जाय या मालिक द्वारा या मालिक के नामांकिती द्वारा ;

(चार) कोई सरकार जो, चाहे कारबार के दौरान या अन्यथा नकद या आस्थगित संदाय या कमीशन पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा माल का क्रय-विक्रय, सम्भरण या वितरण करती है ;

(पाँच) कोई भी व्यक्ति जो राज्य के बाहर निवास करने वाले किसी व्यवहारी के अभिकर्ता के रूप मे राज्य के भीतर कार्य करता है और जो राज्य मे माल का क्रय-विक्रय, सम्भरण या वितरण करता है या ऐसे व्यवहारी की ओर से निम्नलिखित रूप मे कार्य करता है:-

(क) वाणिज्य अभिकर्ता, जैसा कि माल विक्रय अधिनियम-1930 मे यथा परिभाषित है, या

(ख) माल या माल से सम्बन्धित हक के दस्तावेजो का प्रबन्ध करने के लिए अभिकर्ता, या

(ग) माल के विक्रय मूल्य का संग्रहण या संदाय करने के लिए अभिकर्ता या ऐसे संग्रह या संदाय के लिए प्रतिभू ;

(छह) किसी फर्म या कम्पनी का या अन्य निगमित निकाय का मुख्य कार्यालय, मुख्यालय चाहे वह राज्य के बाहर स्थित हो और उसकी कोई शाखा या कार्यालय राज्य मे हो ऐसी शाखा या कार्यालय के माध्यम से माल का क्रय या विक्रय, सम्भरण या वितरण करना ;

(सात) कोई व्यक्ति जो सकर्म संविदा के निष्पादन मे अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप मे या किसी अन्य रूप मे) मे सम्पत्ति के अन्तरण का कारबार करता है ;

(आठ) कोई व्यक्ति जो नकद या आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल को किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण का कारबार करता है ;

(नौ) रेल आधान, संविदाकार, परिवाहक या कोई अन्य वाहक या माल का अग्रेषण अभिकर्ता, जिसमें शीत भण्डारण का स्वामी सम्मिलित है जो पारेषक या परेषिती का पूर्ण पता प्रकट करने में विफल हो या यदि पारेषक परेषिती का प्रकट नाम और पता मिथ्या, कूटरचित या असत्यापनीय हो ;

(दस) गोदाम या भण्डारागार का स्वामी या उसका प्रभारी व्यक्ति, जो वाणिज्यिक माल भण्डारित करता हो :

परंतुबन्ध यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति, जो निगमित निकाय न हो, को, जो ऐसी कृषि या बागवानी उपज का, जिसे उसने स्वयं उत्पन्न किया हो, या किसी ऐसी भूमि में उत्पन्न किया हो, जिसमें उसका चाहे स्वामी, भोग-बन्धकदार, अधिधारी, पट्टेदार या अन्य रूप में कोई हित हो, विक्रय करता है या जो अपने द्वारा पाले गये कुक्कुट या पशुओं से कुक्कुटादि या दुग्ध उत्पाद का विक्रय करता है, ऐसे माल के सम्बन्ध में व्यवहार करता है, ऐसे माल के सम्बन्ध में व्यवहारी नहीं समझा जायगा ;

(ङ) "घोषित माल" का तात्पर्य केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा-14 के अधीन अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के घोषित माल से है ;

(ञ) "दस्तावेज" का तात्पर्य किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उन साधनों में से एक से अधिक के द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित विषय से है जिन्हें इस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से प्रयोग करने की चेष्टा हो या उसे प्रयोग किया जा सके जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :-

(एक) ऐसा इलेक्ट्रानिक दस्तावेज जिसमें आंकड़े, अभिलेख या जनित्र आंकड़े किसी इलेक्ट्रानिक प्रारूप में स्टोर की गयी, प्राप्त की गयी या प्रेषित प्रतिबिम्ब या ध्वनि या सूक्ष्म फिल्म या कम्प्यूटर जनित्र माइक्रो फीक सम्मिलित है ; और

(दो) ऐसे अन्य दस्तावेज जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(ट) "पूर्ववर्ती अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 (उ0प्र0 ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948) से है ;

(ठ) "छूट प्राप्त माल" का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची-एक के स्तम्भ-2 में उल्लिखित या वर्णित किसी माल से है ;

(ड) "माल" का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार या वर्ग की चल सम्पत्ति से है और इसके अन्तर्गत किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त समस्त सामग्री, वस्तुएं और पदार्थ और उगती हुई फसलें, घास, वृक्ष और ऐसी वस्तुयें भी है जो पृथ्वी से संलग्न हों या पृथ्वी से स्थायी रूप से संलग्न किसी वस्तु से बंधी हों, और जिन्हें बिक्री की संविदा के अधीन पृथक करने का अनुबन्ध हो, किन्तु इसके अन्तर्गत अनुयोज्य दावा, स्टाक, शेयर या प्रतिभूति सम्मिलित नहीं है ;

(ढ) किसी माल के सम्बन्ध में "आयात" का तात्पर्य राज्य के बाहर स्थित किसी ऐसे स्थान से राज्य के भीतर किसी स्थान पर माल लाने या प्राप्त करने से है जहां राज्य के बाहर ऐसे स्थान से ऐसे माल की यात्रा प्रारम्भ होती है और राज्य के भीतर किसी स्थान पर समाप्त होती है ;

(ण) "आयातकर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यवहारी से है जो राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य में कोई माल लाता है या प्राप्त करता है और ऐसे व्यवहारी में निम्नलिखित सम्मिलित है :-

(एक) जो राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर लाये गये या प्राप्त किये गये किसी माल का प्रथम विक्रय करता है, या

(दो) जो राज्य के बाहर किसी स्थान से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से राज्य के भीतर कोई माल प्राप्त करता है, या

(तीन) जिसकी ओर से कोई माल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर प्राप्त किये जाते है;

(त) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसने राज्य के भीतर से कोई माल क्रय किया हो, के सम्बन्ध में "इनपुट कर" का तात्पर्य ऐसी समपूर्ण कर धनराशि से है, जो:-

(एक) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा, ऐसे माल के क्रय के सम्बन्ध में ऐसे माल के रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवहारी को संदत्त या संदेय हो, और

(दो) जहाँ ऐसा क्रयकर्ता व्यवहारी ऐसे माल के, क्रय के आवर्त पर इस अधिनियम के अधीन कर संदाय करने का दायी हो, वहाँ ऐसे माल के क्रय के सम्बन्ध में स्वयं क्रयकर्ता व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार को सीधे संदत्त हो ;

(थ) "पट्टा" का तात्पर्य स्वामित्व के अन्तरण के बिना नगद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी अनुबन्ध या प्रबन्ध या जिसके अन्तर्गत किसी प्रयोजन के लिए किसी माल के प्रयोग के अधिकार का अन्तरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जाय, (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) से है और इसमें उप-पट्टा सम्मिलित है, किन्तु इसमें भाड़ा क्रय या किश्तों द्वारा संदाय की किसी प्रणाली पर कोई अन्तरण सम्मिलित नहीं है ;

(द) "पट्टेदार" का तात्पर्य किसी व्यक्ति, जिसको पट्टा के अधीन किसी प्रयोजन के लिए माल के प्रयोग का अधिकार अन्तरित किया जाय, से है ;

(ध) "पट्टाकर्ता" का तात्पर्य किसी व्यक्ति, जिसके लिए किसी माल के प्रयोग का अधिकार किसी प्रयोजन के लिए अन्तरित किया जाय, से है ;

(न) "विनिर्माण" का तात्पर्य किसी माल का उत्पादन करने, बनाने, खनन, संग्रहण, निष्कर्षण, मिश्रण बनाना, मथना, परिवर्तन, अलंकृत, परिसज्जित करने या अन्यथा प्रसंस्करण, शोधन, या अनुकूलित करने से है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा विनिर्माण या विनिर्माण प्रक्रिया नहीं है जैसी निर्धारित की जाए ;

(प) इस अधिनियम की अनुसूची-चार के स्तम्भ-2 में उल्लिखित या वर्णित किसी माल के सम्बन्ध में "विनिर्माता" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यवहारी से है जो राज्य के भीतर किसी नये वाणिज्यिक वस्तु के विनिर्माण के पश्चात, विनिर्माण के किसी प्रक्रिया के अनुप्रयोग द्वारा राज्य के भीतर ऐसी नई वाणिज्यिक वस्तु का सीधे या अन्यथा प्रथम विक्रय करता है जिसमें ऐसा कोई विक्रय करने वाला अधिकर्ता सम्मिलित है जो ऐसे व्यक्ति, जिसने इसे विनिर्मित किया हो, की ओर से ऐसी नयी वस्तु का विक्रय करता है;

(फ) "गैर मूल्य संवर्धित माल" का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची-चार के स्तम्भ-2 में उल्लिखित या वर्णित किसी भी माल से है;

(ब) "जाँच चौकी या नाका के प्रभारी अधिकारी" किसी जाँच चौकी या नाका पर तैनात कर निर्धारक प्राधिकारी की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी सम्मिलित है ;

(भ) "कारबार का स्थान" का तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहाँ कोई व्यवहारी कारबार करता है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है :-

(एक) कोई दुकान, भण्डारागार, गोदाम या अन्य स्थान जहाँ कोई व्यवहारी अपने माल का भण्डारण करता है ;

(दो) कोई स्थान जहाँ कोई व्यवहारी माल का उत्पादन या विनिर्माण करता है;

(तीन) कोई स्थान जहाँ कोई व्यवहारी अपनी लेखा बही और दस्तावेज रखता है;

(चार) कोई स्थान जहाँ कोई व्यवहारी सकर्म संविदा निष्पादित करता है या जहाँ माल के उपयोग के अधिकार का प्रयोग किया जाता है ;

(पाँच) ऐसे व्यवहारी के मामले में जो किसी अभिकर्ता (चाहे उसे किसी भी नाम से बुलाया जाय) के माध्यम से कारबार करता है, ऐसे अभिकर्ता के कारबार का स्थान ;

(म) "क्रय-मूल्य" का तात्पर्य यथा निर्धारित ऐसी अवधि के भीतर ऐसे विक्रेता को वापस किए गए किसी माल के सम्बन्ध में विक्रेता द्वारा क्रेता को, यदि कोई धनराशि लौटायी गयी हो, उस धनराशि से कटौती करने के पश्चात, उसके द्वारा या उसके माध्यम से, किये गये किसी माल के क्रय के प्रतिफल स्वरूप, किसी विक्रेता को किसी क्रेता द्वारा संदेय धनराशि से है ;

स्पष्टीकरण : क्रय कीमत के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है :-

(1) माल के क्रेता को विक्रेता द्वारा प्रभारित आवक भाड़ा की लागत या उसके संस्थापन की लागत का प्रतिनिधित्व करने वाली धनराशि, यदि ऐसी धनराशि विक्रेता द्वारा जारी किये गये विक्रय बीजक या कर बीजक में पृथक से दर्शायी गयी हो ;

(2) कर की धनराशि, यदि ऐसी धनराशि विक्रय बीजक या कर बीजक में पृथक से दर्शायी गयी हो ;

(य) "रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी" का तात्पर्य धारा 17 या 18 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से है।

(क क) "रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी" का तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसे इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के निर्गमन, निलम्बन, निरस्तीकरण या इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित या किसी अन्य मामले को व्यवहृत करने हेतु सशक्त किया गया है और इसमें कर निर्धारक प्राधिकारी सम्मिलित है।

(क ख) "पुनः विक्रय" का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी माल को उसी रूप और दशा में जिसमें ऐसे माल को ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रय किया गया हो, विक्रय करने से है।

(क ग) **"विक्रय"** का तात्पर्य, उसके व्याकरणिक विभेद और सजातीय पदों सहित किसी माल में सम्पत्ति का अन्तरण (बन्धक, दृष्टिबन्धक, प्रभार या गिरवी से भिन्न रूप में) एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को करने से है जो नकद या आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किया जाय और इसमें निम्नलिखित भी है :-

(एक) नकद, आस्थगित संदाय, या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल में सम्पत्ति की संविदा के अनुसरण से भिन्न रूप में अन्तरण ;

(दो) किसी सकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल में सम्पत्ति का अन्तरण (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) ;

(तीन) अवक्रय या किश्तों द्वारा संदाय की किसी अन्य प्रणाली पर माल का परिदान करना ;

(चार) नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल का किसी प्रयोजन से उपयोग करने के अधिकारी का अन्तरण (चाहे वह किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) ;

(पाँच) नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी संघ या व्यक्तियों के निकाय द्वारा (चाहे वह निगमित हो या न हो) उसके किसी सदस्य को माल की आपूर्ति ;

(छह) सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रीति से, चाहे कोई भी हो, माल की आपूर्ति, जो मानव उपयोग के लिए खाद्य या कोई अन्य पदार्थ या ऐय हो, (चाहे मादक हो या न हो), जहाँ ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए हो,

और उपर्युक्त उपखंड (एक) से उपखंड-(छह) के अधीन किसी माल के ऐसे परिदान, अन्तरण या आपूर्ति को परिदान, अन्तरण या आपूर्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा उन मालों का विक्रय और उस व्यक्ति द्वारा उन मालों का क्रय माना जायेगा जिसे ऐसा परिदान, अन्तरण या आपूर्ति की गयी है ;

(क घ) **"विक्रय मूल्य"** का तात्पर्य किसी माल के विक्रय के लिये प्रतिफल के रूप में किसी व्यवहारी को संदेय धनराशि से है जो व्यापार में सामान्य रूप से प्रचलित व्यवहार के अनुसार नकद छूट के रूप में किसी अनुज्ञात धनराशि को घटाकर के, उसमें ऐसी धनराशि को सम्मिलित करके आये जो माल के सम्बन्ध में ऐसे माल के परिदान के समय या उसके पूर्व व्यवहारी द्वारा की गयी किसी बात के लिये प्रभारित की गयी है, उन दशाओं के सिवाय जिसमें जावक भाड़ा या परिदान का खर्चा या संस्थापन का खर्च अलग से प्रभारित किया जाता है ;

स्पष्टीकरण :-

(एक) ऐसे मामले में किसी व्यवहारी द्वारा किसी संदेय शुल्क की कोई धनराशि किसी अवधि के लिए आस्थगित की गयी हो या ऐसे मामले में जिसमें किसी शुल्क के संदेय का बिन्दु परिवर्तित कर दिया गया है तो ऐसे शुल्क की धनराशि को विक्रय कीमत का भाग समझा जायगा ;

(दो) पैकिंग सामग्री मूल्य को, जिसमें किसी माल को पैक किया जाय, बेचे गये माल की विक्रय कीमत का भाग समझा जायगा ;

(तीन) किसी सकर्म संविदा के निष्पादन में सम्मिलित माल में सम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो) माल का विक्रय मूल्य श्रम और सेवाओं की ओर उपगत वास्तविक धनराशि, श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित लाभ की धनराशि, और ऐसे सकर्म संविदा के सम्बन्ध में प्राप्त की गयी या लिये जाने योग्य कुल धनराशि से यथा निर्धारित ऐसी अन्य धनराशियों के योग को कटौती करने के पश्चात अवधारित की जाएगा ;

(चार) माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण के सम्बन्ध में किसी प्रयोजन के लिए किसी माल के विक्रय मूल्य का तात्पर्य (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या हो या न हो) माल के प्रयोग के अधिकार के ऐसे अन्तरण के सम्बन्ध में प्राप्त की गयी या लिये जाने योग्य मूल्यवान प्रतिफल से है किन्तु इसके अन्तर्गत संविदा के भंग के लिए किसी शास्ति के रूप में या प्रतिकर या नुकसानों के रूप में संदेय कोई धनराशि सम्मिलित नहीं है ;

(क ङ) **"अनुसूची"** का तात्पर्य इस अधिनियम से अनुलग्न किसी अनुसूची से है ;

(क च) **"व्यवस्थापन आयोग"** का तात्पर्य धारा 62 के अधीन गठित आयोग से है;

(क छ) **"कर"** का तात्पर्य समाचार पत्रों के सिवाय, माल के विक्रय अथवा क्रय पर इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय कर से है तथा निम्नलिखित सम्मिलित होगे :-

(क) धारा 6 के उपबन्धों के अनुसार विक्रय आवर्त पर देय वास्तविक कर की राशि के स्थान पर संदेय, यथास्थिति, कर या एक मुश्त धनराशि

(ख) विपरीत इनपुट कर क्रेडिट की धनराशि।

(क ज) **"कराधेय व्यवहारी"** का तात्पर्य ऐसे व्यवहारी से है जो उक्त धारा की उपधारा (5) के उपबन्धों के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार कर कर भुगतान का दायी है ;

(क झ) **"कराधेय माल"** का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची-एक के स्तम्भ-2 में उल्लिखित या वर्णित माल के सिवाय किसी माल से है ;

(क ञ) **"कर बीजक"** का तात्पर्य छूट प्राप्त माल और गैर वैट माल के सिवाय किसी माल के विक्रय के संबंध में धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (दो), (तीन), (चार) और (पाँच) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवहारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत क्रेता व्यवहारी या व्यक्ति या निकाय विहित प्रपत्र या रीति से जारी किए गये बिल या नकद मेमो से है ;

(क ट) **"कर अवधि"** का तात्पर्य ऐसी अवधि से है जिसके लिए कोई व्यवहारी धारा 24 के अधीन कर आवर्त विवरणी या कर जमा करने का दायी होगा और जहाँ कोई व्यवहारी किसी कर अवधि के दौरान अपना कारबार या तो प्रारम्भ करता है या समाप्त कर देता है वहाँ ऐसी कर अवधि में ऐसी कर अवधि का भाग सम्मिलित होता है जिसके दौरान व्यापारी का कारबार चल रहा हो ;

(क ड) **"कर विवरणी"** का तात्पर्य इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन विहित या प्रदान किये जाने के लिए अपेक्षित किसी आवर्त और कर विवरणी से है ;

(क ढ) **"क्रय का कराधेय आवर्त"** का तात्पर्य क्रय के सकल आवर्त से ऐसी धनराशि, जैसी विहित की जाय, की कटौती करने के पश्चात प्राप्त आवर्त से है ;

(क ढ) **"विक्रय का कराधेय आवर्त"** का तात्पर्य विक्रय के सकल आवर्त से ऐसी धनराशि, जैसी विहित की जाय, की कटौती करने पश्चात प्राप्त आवर्त से है;

(क ण) **"अधिकरण"** का तात्पर्य धारा 57 के अधीन गठित अधिकरण से है ;

(क त) **"क्रय का आवर्त"** का तात्पर्य उसके सजातीय पदों के साथ किसी व्यवहारी द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या अन्य व्यवहारी के माध्यम से चाहे अपने स्वयं के लेखे में या किसी अन्य के लेखे में क्रय किये गये माल के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय क्रय मूल्य की धनराशि के योग से ऐसी अवधि के भीतर, जैसी निर्धारित की जाय, ऐसे विक्रेता को वापस किये गये किसी माल के सम्बन्ध में विक्रेता द्वारा वापस की गयी धनराशि की कटौती के पश्चात, यदि कोई हो, से है ;

(क थ) **"विक्रय का आवर्त"** का तात्पर्य किसी व्यवहारी द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या अन्य माध्यम से चाहे अपने स्वयं के लेखे से या किसी अन्य लेखे से विक्रय स्वरूप बेचे गये, सम्भरित किये गये या वितरित किये माल के विक्रय मूल्य की धनराशि के योग से है ;

(क द) **"यान"** का तात्पर्य माल की ढुलाई के लिए प्रयुक्त परिवहन के ऐसे किसी प्रकार के तरीके से, जिसमें माल की ढुलाई के लिए निर्मित या अनुकूलित मोटर यान या अन्य कोई मोटर यान, जो इस प्रकार निर्मित या अनुकूलित न हो जब उसे मात्र माल की ढुलाई के लिए प्रयोग किया जाय, या जिसमें यात्री वाहन के अतिरिक्त पहिया वाले प्रत्येक वाहन और ऐसी खीचने या ठेलने वाली गाड़ी सम्मिलित है, जिसमें पशुचालित गाड़ी, पशु, ट्रेलर, ट्राली, साइकिल, रिक्शा वाहन भी है और परिवहन के ऐसे अन्य तरीके से है जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो;

(क ध) **"जलयान"** के अन्तर्गत कोई माल, जहाज, छोटी नौका, रैफ्ट, टिम्बर, बास या तैरती हुई सामग्री जिसे किसी भी प्रकार से चलाया जाय ;

(क न) **"वेबसाइट"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग के वर्ल्डवाइड वेब से है जिसमें "व्यापार कर एन आई सी आई एन" प्रोक्त और "एच टीटीपी/पी/ व्यापार कर एन आई सी आई एन" पता है अथवा ऐसे अन्य वेबसाईट से है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ;

(क प) **"संकर्म संविदा"** के अन्तर्गत नकद आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के भवन निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण, ढांचा परिनिर्माण संस्थापन, ठीक-ठीक करना, सज्जीकरण सुधार उपान्तरण, मरम्मत या चालू करने के लिए निष्पादित करने हेतु कोई अनुबंध भी है।

विस्तृत विवरण- India Code Portal पर